रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 14, 1983/चैत्र 24, 1905
No. 140] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 14, 1983/CHAITRA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1983

शुद्धि-पत्र

सा. का. नि. 329(अ) :—भारत के राजपत्र असाधारण भाग (2) खण्ड (3) उप-खण्ड (1) तारीख 8 मार्च, 1983 के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 249(अ), तारीख 8 मार्च, 1983 में :—

(1) पृष्ठ 1 पर उदेशिका में 'उपखण्ड (2)' तथा 'पृष्ठ पर' के स्थान पर क्रमशः 'उपखण्ड (1)' तथा 'पृष्ठ 64-65 पर' पढ़ें ।

(2) पृष्ठ 2 पर दिए गए टिप्पण में—(1) 'निलारण' तथा 'पहलीबार' के स्थान पर क्रमशः 'निवारण' तथा 'पहलीबार' पढ़ें ।; (2) क्रम संख्या 50 के बाद '51 सा. का. नि. सं. 109(अ), तारीख 26 फरवरी, 1983' जोड़ें ।

[संख्या पी. 15019/2/80 (पी.एम.एफ एण्ड एन)/पी.एफ.ए.]

एस. वी. सुब्रामणियन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 14th April, 1983

CORRIGENDUM

G.S.R. 329(E).—In the notification of Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 249(E), dated 8th March, 1983, of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 8th March, 1983 at pages 2, 3 :—

(i) at page 2, in sub-rule (ii) of rule 2, for the word "sid" read "said",

(ii) at page 3, at the end of the note, after serial No. 50, the following shall be added, "51 G.S.R. No. 109(E) dated 26-2-83".

[No. P. 15019/2/80—PH(F&N)PFA]
S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983